15

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः—एस्टे/डीईएस/एएसओ/अ.अध्ययन/2021/327 दिनांकः—12.02.2021

कार्यालय आदेश

विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को अग्रिम अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने की स्वीकृति उनके प्रार्थना पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निधारित शर्तों के अध्ययधीन निम्नानुसार प्रदान की जाती है —

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदस्थापन विभाग/कार्यालय	अध्ययन/परीक्षा (जिसमें कर्मचारी भाग लेना चाहता है)
1.	रेखा शर्मा	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भीलवाड़ा	1.बी.एड. पार्ट द्वितीय वर्ष 2019—20
2.	कपिल देव	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, जसवन्तपुरा, जालोर	1.असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा (आरपीएससी)
3.	गिर्राज वर्मा	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, रानीवाडा, जालोर	1.एनटीए—नीट 2.असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020
4.	हंसराज गुर्जर	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आहोर, जालोर	1.असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020
5.	रामजीवन विश्नोई	उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जालोर	1.एम.कॉम. परीक्षा 2.यूजीसी नेट 2021 3.कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2021 4.रीट 2021
6.	सुरेन्द्र कुमार दरिया	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खमनोर, राजसमन्द	1.सहायकआचार्य/कॉलेजशिक्षा/ईपी—1/2020—21 विषय वाणिज्य संकाय (एबीएसटी) 2.इकनोमिक्स प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन (इएएफएम) विभाग
7.	रोशन लाल मीना	कार्यालय जिला परिषद, धौलपुर	1. कॉलेज सहायक आचार्य भर्ती 2020
8.	रति राम जाट	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, रेलमगरा, राजसमंद	1. सी.ए. फाईनल परीक्षा—2020
9.	योगेश अवस्थी	कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़	1. एल.एल.बी. अंतिम वर्ष 2019—20
10.	नेहा चौधरी	कार्यालय अति मुख्य चि एवं स्वा अधिकारी (प.क.) भीलवाड़ा	1. बी.एड. पार्ट द्वितीय वर्ष 2019—20
11.	विक्रम सिंह यादव	राज. अनु.जाति/जन. वित्त एवं विकास सहकारी नि लि. प्रतापगढ़	1. बी.एड. अन्तिम वर्ष प्रतियोगी परीक्षा 2019—20
12.	विवेक थिरपाल	पंचायत समिति, नोहर, हनुमानगढ़	1. एम.ए. (अर्थशास्त्र)
13.	हरि राम	कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, सायला, जालोर	1. असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2020 2. यु.जी.सी. नेट 3. जे.आर.एफ. परीक्षा 2020

राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.11.2006 के द्वारा निधारित शर्तेः—

1. राजसेवक का शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन अनुमति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।

2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
3. प्रत्येक वर्ष/परीक्षा के लिए अलग–अलग अनुमति लेनी होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगी।
6. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन के कारण राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा अनुमति समाप्त कर दी जावेगी।
8. अध्ययन संस्थान में राजसेवक की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिए सरकार/विभाग की किसी प्रकार से जिम्मेदारी नही होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नही किया जावेगा।
10. विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों से अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त कार्मिको को उक्त शर्तो के अध्ययधीन निर्देशित किया जाता है कि अध्ययन/परीक्षा में भाग लेने कि दी गई अनुमति की विभाग द्वारा समीक्षा एवं उनके शिक्षण संस्थानों से उनके अध्ययन एवं संस्थान में उनकी उपस्थिति इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जावेगी। यदि कार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के अनिवार्य वांछित शर्तो के साथ–साथ अध्ययन की स्वीकृति की शर्तो का उल्लंघन करते है तो उनके द्वारा धारित की गई डिग्री/प्रमाण–पत्र को अभिलेख पर नहीं लिया जावेगा और अपचारी कार्मिक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

(मिसाराम प्रजापत)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.सेल) मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. सम्बन्धित विभाग ....।
3. सम्बन्धित कर्मचारी श्री ....।
4. रक्षित पत्रावली।

(सुभाष चन्द्र शर्मा)
उप निदेशक (प्रशासन)